

**कार्यालय,
प्राविधिक शिक्षा परिषद्**

संख्या:- प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2022/11127

उत्तर प्रवेश सम्बन्ध

मध्यबंड: दिनांक: 23-12-2022

-कार्यालय भाष-

प्राविधि संस्था (लिखित) 888/2022 एवं 847/2022 में वा० उत्तरम् स्पष्टात्मक द्वारा परिव्रत आवश्यक दिनांक 21-10-2022 के अनुपालन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, गई दिल्ली द्वारा भीतिक मत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने के उत्तरम् प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० सम्बन्ध में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2022 को परिषद सार्वानन्द में सम्बद्धता समिति की बैठक संचय हुई। बैठक में समिति द्वारा मत्र 2022-23 हेतु पी०सी०आई० द्वारा नई डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को इसके अनुमोदन के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० सम्बन्ध द्वारा मत्र 2022-23 हेतु नियमांकित शर्तों के आधार पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम:- 2169, रुद्धीती कालेज आफ फार्मेसी, विलेज-सारायपीर जनपद अयोग्या-224116 (पी०सी०)			
कोड	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा मत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्त	परिषद द्वारा मत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्त
1	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते-

- ✓ संस्था पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित ही गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1992, विनियमावधी-2000, मेमोरांडम विनियमावधी-2016 तथा समव-समय पर निर्णय शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समव-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना ज्ञावशयक होगा। यीस निर्धारण समिति द्वारा यदि मत्र 2022-23 हेतु पी०सी० का चुनियारम किया जाता है, तो पी०सी० की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित शास्त्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समव-समय पर निर्णय शासनादेश के जनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दबाए गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/नियंत्रणों एवं नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, मंसुक प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० द्वारा दबाए गये नियमों, विनियमों, आदेशों, नियंत्रणों का पालन करने के सिये वाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का पी०सी०आई० में अनुमोदन निरल किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का ही और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के सिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, मंसुक प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा नियंत्रण एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विलक्षण यदि कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को मंसुक प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लघुनड़ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उहै प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

[Signature]


- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-गमय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना चाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट तथा प्राचिधिक शिखा के यूट्यूब पोर्टल पर संस्था की गमन्य गृहनाम, जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, माज-मज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के माध्य रैगिंग रोकने के मम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समझ उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


 (एफ0आर0 छान)
 सचिव।

तिथिनांक: 23-12-2022

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/11128-11211

प्रतिलिपि:- प्रधानकार्य/निदेशक, रुदौली कालेज आफ फार्मसी, विलेज-मरायपीर जनपद अयोध्या-224116 (य०पी०)


 (एफ0आर0 छान)
 सचिव।